न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
27/6/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश [illegible] से स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से संलग्न किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील संग्रहालय [illegible] हो। (हस्ताक्षर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

प्रकरण सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
116 / 14	09.06.2014	27.06.2019

1. धर्मचन्द
2. रामान्द
3. रामनिवास
4. प्रताप पुत्रान श्योनारायण
5. सरदार सिंह
6. चिरन्जीलाल
7. बलबीर पुत्रान रूपचन्द
8. सरवण पुत्री रूपचन्द
9. होशियार
10. बलीराम
11. पृथ्वी सिंह पुत्रान दीपा
12. बीरमति बेवा बाबूलाल
13. भगवतदयाल पुत्र बाबूलाल
14. मन्नूबाई
15. मनीषा
16. सुधा
17. लक्ष्मी पुत्रीयान बाबूलाल जाति अहीरान निवासीयान ग्राम आकोली तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0

:–प्रार्थीगण / वादीगण

–:बनाम:–

1. कालिया पुत्र श्री मोहन
2. रामकरण पुत्र श्री मोहन
3. रामेश्वर पुत्र भोलिया
4. रतिराम पुत्र भोलिया
5. ग्यासी पुत्र बोहडू
6. फूलपति पत्नी हरदयाल
7. विरेन्द्र पुत्र हरदयाल
8. नेमता
9. उनिल पुत्रीयान हरदयाल जाति अहीरान निवासीयान ग्राम आकोली तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0
10. भारतीय स्टेट बैंक शाखा धारूहेड़ा जरिये प्रबंधक धारूहेडा तहसील धारूहेडा जिला रेवाड़ी हरियाणा।
11. पंजाब नैशनल बैंक शाखा बूढ़ीबावल जरिये शाखा प्रबंधक बूढ़ीबावल
12. राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार,, कोटकासिम जिला अलवर (राज0) ।

:– अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0
आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0दी0

स्थितः–

1. श्री कप्तान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री दुलीचन्द यादव अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थी ने मय अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0दी0 का इस आश्य का पेश किया जिसका संक्षिपत विवरण इस प्रकार है कि विवादित आराजी साबिक रिकोर्ड के मुताबिक अमर सिंह, गणपत, श्योनारायण, नंदलाल पुत्रा दौला 1/2 भाग व रूपचन्द, दीपा पुत्रान किशना 1/2 भाग की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जो अपने जीवनकाल में काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे थे अमर सिंह वगैरा मिन प्रार्थीगण के बुजुर्गान थे जिनके नाम का अंकन राजस्व जमाबंदी सम्वत 2018, 2022 मे हो रहा है।

आराजी साबिक खसरा नम्बर 53 पर अमर सिंह, गणपत, श्योनारायण, नंदलाल पुत्रान 1/2 भाग तथा रूपचन्द, दीपा पुत्रान किशना 1/2 भाग पर अपने जीवनकाल में काबिज व दखिल होकर काश्त करते रहे लेकिन अमर सिंह, गणपत, नंदलाल, पुत्रान दौला अपने जीवनकाल में ही अपने हक हिस्से की तमाम आराजी बाके ग्राम आकोली तहसील कोटकासिम की अपने सगे भाई श्योनारायण को देकर स्वयं तीनो अपनी बहनो की देहली पर ग्राम खेतियावास चले गये थे बहन के कोई वारिस नही थे। परिवार, समाज व रिश्तेदारो के फैसले के मुताबिक उन्होने अपनी समस्त हक हिस्से की आराजी ग्राम आकोली की अपने सगे भाई श्योनारायण को दे दी थी। ग्राम आकोली में उनके हक हिस्से की आराजी से उनका कोई लेना–देना शेष नही रहा था उनके तमाम हक हिस्से की आराजी का मालिक श्योनारायण पुत्र श्री दौला हो गये थे। श्योनारायण अपने जीवनकाल तक अपनी व अपने भाईयो को दी हुई आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज व दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा था तथा श्योनारायण की फौतगी के बाद उसके विधिक वारिसान मिन प्रार्थीगण सं0 1 लगायत 4 उसके हक हिस्से तक काबिज व दखिल होकर आज तक काश्त करते चले आ रहे है। उसी प्रकार रूपचन्द व दीपा विवादित आराजी में अपने हक हिस्से तक अपने जीवनकाल में शांतिपूर्वक काबिज व दखिल होकर काश्त करते रहे उनकी फौतगी के बाद उनके विधिक व जायज वारिसान मिन प्रार्थीगण सं0 5 लगायत 17 तथा बाबूलाल की फौतगी के बाद उसके विधिक जायज वारिसान मिन प्रार्थीगण सं0 12 लगायत 17 आज तक शांतिपूर्वक काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी पर पहले मिन प्रार्थीगण के बुजर्गान काबिज व दखिल होकर काश्त करते रहे उनकी फौतगी के बाद मिन प्रार्थीगण काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। साबिक खसरा नम्बर 53 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा के सैटिलमेन्ट विभाग ने नेये नम्बर कायम किये तो आराजी हाल खसरा नम्बर 234 में 05 बिस्वा रकबा सैटिलमेन्ट विभाग के अधिकारियो व कर्मचारियो ने अप्रार्थीगण के बुजुर्गान से साज–बाज होकर मय मिल्लत कर अप्रार्थीगण के बुजुर्गान का नाम का अंकन कर दिया तथा मिन प्रार्थीगणो की आराजी राजस्व रिकोर्ड में गलत तरीके से अप्रार्थीगणो के रिकोर्ड में मिला दी गई। सैटिलमेन्ट के अधिकारियो व कर्मचारीगणों ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 234 में 05 बिस्वा रकबा मिन प्रार्थीगण की साबिक खसरा नम्बर 53 का मिला दिया तो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून किया गया है जबकि विवादित आराजी खसरा नम्बर 234 मिन प्रार्थीगण के बुजुर्गान का नाम का अंकन मौका कब्जा काश्त व साबिक रिकोर्ड के अनुसार करना चाहिये था। अप्रार्थीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 234 के 05 बिस्वा रकबा तक गैरवास्ता गैरकाबिज सख्स है। इस 05 बिस्वा रकबा पर मिन प्रार्थीगण मौके पर काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आरहे है। विवादित आराजी साबिक रिकोर्ड में मिन प्रार्थीगण के नाम का

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अंकन कर दिया और जिसकी पुनरावृति ता हाल राजस्व रिकोर्डस में अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 9 के नाम दर्ज होती चली आ रही है जिस पर मिन प्रार्थीगण ने दिनांक 06.06.2014 को अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 9 से उक्त गलत इन्द्राज की दुरूस्त कराकर 05 बिस्वा आराजी हमारे नाम राजस्व रिकोर्डस में कराने का निवेदन किया तो वो साफ उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने से इंकार हो गये और विवादित आराजी को दीगर लोगो को बेचान करने की व विवादित आराजी से मिन प्रार्थीगण को जब्रन बेदखल करने की व जब्रन अपना कब्जा करने की धमकीया दी। यदि अप्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपयो में नही आंकी जा सकेगी। इसलिये मिन प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 234/0.34400 हैक्टयर वाके ग्राम आकोली तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 में प्रार्थीगण के 05 बिस्वा को कही दीगर जगह रहन–बैय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, ना ही प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करे, ना जब्रन बेदखल करे, ना कब्जा करे, ना निर्माण कार्य करे, मौका व रास्ता रिकोर्ड की यथास्थिति कायब रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री दुलीचन्द यादव अधिवक्ता ने वकातलनामा पेश किया और जवाब प्रार्थीना पत्र ना पेश करते हुए शीधे बहस की गई।

बहस विद्वांन अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की। अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र का खंण्डन करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की ।

बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। हस्तगत पत्रावली में वादभूमि 5 बिस्वा के दौराने सैटलमेन्ट गलत इन्द्राजात होने का मुख्य विवाधक है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड दस्तावेज जमाबंदी व खसरा मिलान क्षेत्रफल से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला साबित है। वादभूमि के दौराने वाद रहन बैय से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की संभावना है व वकील अप्रार्थी ने भी अपनी बहस में दौराने वाद वादभूमि के रहन बैय मुन्तकिल बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने पर अनापत्ति जाहिर की है। बिना मूल वाद के निस्तारण 5 बिस्वा भूमि के स्वामित्व व कब्जा सम्बन्धी प्रश्न का निस्तारण नही हो सकता तब तक यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि दोनो पक्षकारान वादभूमि में रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखे। वाद भूमि के अंतरण व अविधिक तरीके से कब्जा में दखलन्दाजी से वाद बहुलता व वाद क्लिष्टता की संभावना रहती है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक साबित होने पर स्वीकार कर आदेश दिनांक 09.06.2014 को परिवर्तित कर आदेश दिया जाता हैकि ताफैसला वाद दोनो पक्ष प्रार्थी व अप्रार्थीगण वादभूमि विवादित आराजी हाल ख0न0 334/0.3400 हैक्टयर वाके ग्राम आकोली तहसील कोटकासिम जिला–अलवर में रिकार्ड व मौकाकी यथास्थिति कायम रखेगे। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण वादभूमि का रहन बैय अंतरण नही करेंगे, न ही वादभूमि एक दूसरे के कब्जा में दखलन्दाजी करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकुमार कस्वा (R.AS)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)
कोटकासिम(अलवर)

Scanned by CamScanner